



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 चैत्र 1939 (श०)

(सं० पटना 261) पटना, शुक्रवार, 31 मार्च 2017

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएँ

31 मार्च 2017

एस०ओ० 32, दिनांक 31 मार्च 2017—बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 (1948 का बिहार अधिनियम XXXV) की धारा—10 की उप—धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा आदेश देते हैं कि बिहार पर्यटन नीति, 2009 के अधीन नवरथापित मनोरंजन केन्द्रों को, जो उक्त अधिनियम की धारा—6 के अधीन निर्बन्धित हैं, वाणिज्यिक तौर पर मनोरंजन कार्य प्रारंभ होने की तिथि से सात वर्षों तक के लिए, बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 (1948 का बिहार अधिनियम XXXV) के अधीन मनोरंजन कर के उद्ग्रहण से छूट दिया जाएगा।

2. यह अधिसूचना बिहार पर्यटन नीति, 2009 के निर्गमन की तिथि दिनांक 24.07.2009 से प्रभावी होगी।

[(सं०सं०—बिक्री—कर/विविध—48/2014—1133)]

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य—कर आयुक्त—सह—प्रधान सचिव।

31 मार्च 2017

एस०ओ० 33, एस०ओ० 32, दिनांक 31 मार्च 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०—बिक्री—कर/विविध—48/2014—1133)]

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य—कर आयुक्त—सह—प्रधान सचिव।

The 31st March 2017

S.O. 32, dated the 31st March 2017—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 10 of the Bihar Entertainments Tax Act, 1948 (Bihar Act XXXV of 1948), the Governor of Bihar is hereby pleased to order that the new Entertainment Centres established under the Bihar Tourism Policy, 2009 and registered under Section-6 of the said Act shall be exempted from levy of entertainment tax, under Bihar Entertainments Tax Act, 1948 (Bihar Act XXXV of 1948) for Seven Years from the date of its commercial operation.

2. This notification shall be effective from 24.07.2009, the date of issuance of the Bihar Tourism Policy, 2009.

[(File No. Bikri-kar/Vividh-48/2014-1133)]

By the order of Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

Commissioner-cum-Principal Secretary

Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 261-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>